[illegible]
[illegible] एक पक्षीय कार्यवाही
[illegible] वास्ते ~~[illegible]~~ L.A.C. बहस प्रा०पत्र
पत्रावली 11-9-19 को पेश हो

11-9-19 पत्रावली पेश हुई वकील की उपस्थित वास्ते बहस प्रा०पत्र पत्रावली 23-10-19 को पेश हो

23-10-19 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश प्रा०पत्र 212 आर.टी.ए. पत्रावली 30-10-19 को पेश हो

30-10-19 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित आदेश सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया ~~[illegible]~~ जाता है विस्तृत निर्णय प्रथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 63/2013 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 28.10.2013 — जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. अशोक कुमार आत्मज श्री कृष्ण मुरारी सोनी जाति सुनार निवासी ग्राम सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

– प्रार्थी –

बनाम

1. भागोतीबाई पुत्री पीरू पत्नी श्री बालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी आजन्दा हाल निवासी ग्राम चन्द्रावल तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
2. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
आर.टी.एक्ट., अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 457 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा संख्या 458 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा संख्या 461 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा संख्या 462 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 0.74 हैक्टर वाके ग्राम बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 376 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा संख्या 385 रकबा 0.70 हैक्टर किता 2 योग रकबा 1.74 हैक्टर वाके ग्राम बलदेवपुरा में स्थित में से हिस्सा 1/2 भाग 2003 में अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी की मां के खाते में दर्ज थी। अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी की मां ने 10.10.2003 को प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नं0 376, 385 किता 2 योग रकबा 1.74 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 भाग की कृषि भूमि को 40,000 रूपये में विकय करना स्वीकार कर जरिये अप्रार्थी संख्या 1 के पति बालचन्द के द्वारा हस्ताक्षर करवाकर 19000 रूपये नकद प्राप्त कर लिये और प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि गैर खातेदारी में दर्ज होने से खातेदारी प्राप्त कर रजिस्ट्री करवाना तय किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि गैर खातेदारी मे होने से उसकी रजिस्ट्री नही हो सकी। प्रार्थी कब्जा मुखालफाना से वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ने खातेदारी प्राप्त करली और प्रार्थी के बार बार कहने पर भी प्रार्थी के नाम विकय पत्र निष्पादित नही किया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

1.10.2013 को प्रार्थी ने अप्रार्थी के घर जाकर अपने हक में विक्रय पत्र निष्पादन का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया और अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी दी। जबकि अप्रार्थी को ऐसा कहने व करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। और अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये यही वाद कारण है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

हमारे द्वारा प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 खाता संख्या नया 136 पुराना 135 वाके ग्राम बलदेवपुरा का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने से प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि गैरखातेदार कृषक के रूप में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 376 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा संख्या 385 रकबा 0.70 हैक्टर किता 2 योग रकबा 1.74 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 वाके ग्राम बलदेवपुरा को दिनांक 10.10.2003 को जर्ये इकरारनामा से क्रय करना बताया जाकर अधिकार घोषणा का दावा न्यायालय में पेश किया गया है।

हमारे मतानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानुसार गैरखातेदारी कृषि भूमि का हस्तान्तरण नही होना पाया जाता है। साथ ही इकरारनामे के आधार पर अधिकार घोषणा का दावा कानूनन पोषनीय नही है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही है न ही क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)